न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 10/2024 G.C.M.S. No. 2024/49 दर्ज दिनांक : 09.02.2024

अपीलार्थी:

1. पूनाराम (फौत) पुत्र चन्द्रराम, जाति बावरी के कायम मुकाम:–
   1/1 दुर्गाराम पुत्र स्व. पूनाराम
   1/2 पप्पुराम पुत्र स्व. पूनाराम
   1/3 पारसराम पुत्र स्व. पूनाराम
   1/4 ढगलाई पुत्री स्व. पूनाराम
   1/5 मैनादेवी पुत्री स्व. पूनाराम
   1/6 गेरकी पत्नि स्व. पूनाराम, जातिगण बावरी, निवासीगण ग्राम कांवलिया खुर्द, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. माणकराम पुत्र जीताराम
2. प्रेमाराम पुत्र मोहनलाल, जातिगण बावरी, निवासीगण ग्राम कांवलिया खुर्द, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जैतारण, जिला ब्यावर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76/2021 बअनवान माणकराम वगैरह बनाम पुनाराम के का.मु. दुर्गाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 25.01.2024

पैरोकार–

1. श्री श्यामसिंह सोलंकी, श्री मुस्ताक खान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 23.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76/2021 बअनवान माणकराम वगैरह बनाम पुनाराम के का.मु. दुर्गाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 25.01.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि सरहद मौजा कांवलिया खुर्द, पटवार हल्का कावलिया कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया के खसरा नंबर 709 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा 709/1 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन हेतु अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 705 रकबा 2.9299 हैक्टेयर में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान करने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जैतारण के मार्फत भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया से तलब रिपोर्ट दिनांक 15.06.2023 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि रास्ते का विकल्प संख्या 2 खसरा संख्या 706 की भूमि से होकर अप्रार्थीगण को उनकी भूमि में आवागमन हेतु निकटतम एवं न्यूनतम विकल्प है, जो रास्ता दिया जाना उचित एवं विधिसम्मत है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रतिपादित प्रावधानों के परे जाकर विकल्प संख्या 1 को उचित मानते हुए अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 705 में से होकर अप्रार्थीगण को अपने खसरा संख्या 709 व 709/1 में रास्ता प्रदान किये जाने बाबत निर्णय पारित किया गया है। जो रेकर्ड एवं विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उनकी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 709 व 709/1 में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने का कथन किया गया है, जो सरासर गलत है। क्योंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य अप्रार्थीगण सहित अन्य खातेदारान के आवागमन हेतु कदीमी से पर्याप्त रास्ता उपलब्ध है। जिस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पेश अपने जवाब एवं फोटोग्राफ्स एवं बयान गवाहान पेश किये, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की सरासर अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार चाहे गये रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होनी चाहिए। केवल सुविधा के लिए रास्ते की मांग नहीं की जा सकती हैं। साथ ही निकटतम एवं न्यूनतम दूरी के विकल्प के अनुसार ही रास्ता प्रदान किया जा सकेगा। साथ ही पूर्व से कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं होने पर ही चाहा गया रास्ता प्रदान किया जा सकेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों की कतई पालना नहीं की गई हैं। क्योंकि अप्रार्थीगण के जोत में आवागमन हेतु पूर्व से पर्याप्त रास्ता कायम किया हुआ है। साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 705 में से होकर दिया जाने वाला रास्ता निकटतम एवं न्यूनतम विकल्प नहीं हैं। साथ ही अप्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता भी अत्यांतिक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कांवलिया खुर्द से ग्यास, बस्सी, बलाड़ा जाने हेतु खसरा संख्या 583 में स्थित कोई गैर मुमकिन रास्ता नहीं हैं। अपितु खसरा संख्या 583 गैर मुमकिन गुहा है। फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 583 को गैर मुमकिन रास्ता बताते हुए आनन्दपुर कालु द्वितीय के खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

587 व 935 गैर मुमकिन रास्ता से होकर अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 705 में से होकर प्रार्थीगण के खसरा संख्या 709 व 709/1 में आने-जाने हेतु रास्ता होने का कथन सर्वथा निराधार है। इसके विपरीत खसरा संख्या 701, 702, 703, 704, 705, 705/1, 705/2, 706 व 707 के पूर्व में तथा खसरा संख्या 697, 698, 708, 709, 709/1, 711, 71 713, 714 के पश्चिम में मध्य में सेटलमेंट के वक्त से ही उपरोक्त खसरान में आवागमन करने, काश्त करने, खाद-बीज लाने ले जाने इत्यादि हेतु ट्रैक्टर व अन्य साधनों के आवागमन हेतु पर्याप्त रास्ता विद्यमान है। जो रास्ता उपरोक्त खसरान के तत्कालीन खातेदारों द्वारा सहमति पूर्वक कायम किया गया है जो आज भी कायम है। जिससे होकर ही उपरोक्त खसरान के खातेदारान सहित प्रार्थीगण भी अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करते है एवं उपयोग व उपभोग करते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में भी उक्त तथ्य को भली भांति अवगत करवाया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को नजर अंदाज कर दिया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 13.06.2021 को रास्ता अवरूद्ध कर दिये जाने के कारण अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने तथा उपयोग तथा उपभोग करने से महरूम हो जाने का कथन किया है, जो सरासर गलत है। क्योंकि गिरदावरी रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण अपनी कृषि भमि खसरा संख्या 709 व 709/1 में हर वर्ष लगातार निर्विवाद रूप से खरीफ व रबी की फसल की उपज बो रहे हैं एवं फसल हासिल कर रहे हैं। वर्तमान में भी प्रार्थीगण की उक्त भूमि में जीरा की फसल खड़ी हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु काश्त करने हेतु रास्ता विद्यमान है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित किया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट द्वारा ग्राम कंवलिया खुर्द तहसील जैतारण में स्थित अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 709 व 709/1 तक पहुंच के लिए अपीलांट के विरूद्ध धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की ओर से दिनांक 10.08.2021 को अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा तथा दिनांक 13.09.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

2021 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जांच प्रतिवेदन तलब किया गया। प्रकरण में भू.अ.नि. लाम्बिया तथा तहसील जैतारण द्वारा दिनांक 15.06.2023 को मौके पर जांच प्रतिवेदन तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में तीन विकल्प प्रस्तावित किए गए। 1. एबीसी लंबाई 302 मीटर, 2. डीईएफजी लंबाई 294 मीटर तथा 3. एचआईजेके लंबाई 338 मीटर है। जांच प्रतिवेदन एवं भू–नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट की आराजी तक पहुंच के लिए कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हैं तथा रास्ते की मांग आत्यांतिक आवश्यकता पर आधारित है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसीलदार जैतारण की जांच रिपोर्ट में प्रस्तावित विकल्प संख्या 1 एबीसी को स्वीकार कर रास्ते के रूप में स्वीकृत किया गया।

2. अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया है कि विकल्प संख्या 2 निकटतम दूरी का विकल्प होने के बावजूद स्वीकृत नहीं किया गया। अतः अपीलाधीन आदेश काबिल अपास्त है, के संबंध में हमारे विनम्र मत में विकल्प संख्या 2 की दूरी 294 मीटर है। जबकि विकल्प संख्या 1 एबीसी की दूरी 302 मीटर है। इस प्रकार विकल्प संख्या 2 निकटतम दूरी का विकल्प है तथा तहसीलदार जैतारण द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में विकल्प संख्या 2 को अन्य विकल्पों से कम दूरी का होना प्रस्तावित किया है। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण दर्शित किए विकल्प संख्या 1 को न्यूनतम दूरी का विकल्प मानते हुए खसरा संख्या 705 व 709 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जोकि धारा 251–क व नियम 69 के आज्ञापक विधिक प्रावधानों के अनुसार निकटतम दूरी का विकल्प नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76/2021 बअनवान माणकराम वगैरह बनाम पुनाराम के का.मु. दुर्गाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 25.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

01.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में खसरा संख्या 706 के खातेदारान को पक्षकार संयोजित करते हुए सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.06.2023 के आधार पर निकटतम दूरी के विकल्प का परीक्षण करते हुए धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों के तहत प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 28.01.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **23.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner